**संख्या-2/2023/1186/60-1-23-1/13(02)/21**

**प्रेषक,**

**दिनेश चन्द्र पाण्डेय,**
**उप सचिव,**
**उ0प्र0 शासन।**

**सेवा में,**

**निदेशक,**
**महिला कल्याण,**
**उ0प्र0 लखनऊ।**

**महिला कल्याण अनुभाग-1** **लखनऊ::दिनांक:: 31 जनवरी, 2023**

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति विषयक।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-522-23/निदे0म0क0/लेखा-बजट/पुनर्विनियोग/2022-23, दिनांक 22.12.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-06-उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 'सामान्य'-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0 2500.00 लाख (रू0 पचीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैः-

(i) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(iii) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(iv) स्वीकृत धनराशि का उपभोग आदि उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(v) जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मॉग निदेशालय द्वारा नहीं की जायेगी।

(vi) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा समस्त औपचारिकताएं एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-04-कन्या सुमंगला योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के कॉलम-3 में उपलब्ध बचतों से किया जायेगा।

4- उक्त व्यय अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-06-उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 'सामान्य'-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जोयगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के संख्या:RE-budget-1-270, दिनांक 06.01.2023 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीय,

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या-2/2023/1186 (1)/60-1-23, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, संगम पैलेस, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, महिला कल्याण, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- योजना अधिकारी, निदेशालय, महिला कल्याण, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।